राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 18/2014/डूँगरपुर

श्री बालकृष्ण पुत्र श्री लेम्बाराम जी कोटेड जाति भील
निवासी–मुकाम पाटडी तहसील व जिला–डूँगरपुर प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक,डूँगरपुर अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री हेमराज गुप्ता
अभिभाषक प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 28.09.2016

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998(जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलेक्टर (मुद्रांक) वृत–उदयपुर (जिसे आगे कलेक्टर(मुद्रांक)कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 20/2010 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने मकान प्लाट संख्या 7,शास्त्री नगर मार्ग का क्रय करने का इकरार रू. 8,50,000/–में श्री देवीलाल से किया तथा इसके पश्चात दिनांक 13.02.2008 को विक्रय मूल्य पर निर्धारित मुद्रांक शुल्क अदा कर दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक,डूँगरपुर से कराया एवं उप पंजीयक ने विक्रय मूल्य एवं उस पर निर्धारित मुद्रांक शुल्क पूर्ण मानते हुए दस्तावेज को पंजीकृत करके क्रेता को लौटा दिया। तत्पश्चात आन्तरिक लेखा जांच दल,पंजीयन एवं मुदांक विभाग राजस्थान, अजमेर द्वारा वर्ष मई 2006 से मई 2008 तक के दस्तावेजों का अंकेक्षण करने पर प्रश्नगत सम्पत्ति की बाजार भाव से मालियत रू. 21,87,310/–होने का आक्षेप गठित किया, जिस पर मुद्रांक कर रू.1,42,180/– व पंजीयन शुल्क रू. 21,880/–देय है, इस प्रकार कमी मुद्रांक कर रू. 86,930/– व कमी पंजीयन शुल्क 13,380/– कुल रू. 1,00,310/–क्रेता से वसूली योग्य है। आन्तरिक जांच दल के द्वारा कमी मालियत के आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक द्वारा दिनांक 30.04.2010 को अधिनियम की धारा 51 (4)के अन्तर्गत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स प्रेषित किया गया,जिसका एक पक्षीय आदेश आदेशिका पर अंकित करते हुए पारित कर रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कमी मुद्रांक कर रू. 86,930/– व कमी पंजीयन शुल्क 13,380/– व शास्ति 690/–कुल रू. 1,01,000/–प्रार्थी से वसूल करने का आदेश दिनांक 11.10.2011 पारित किया गया और उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार ब्याज देय होने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ पेश की गई है।

विद्वान के विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब के यथेष्ट एवं क्षमा योग्य कारणों सहित मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया गया है। अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में उल्लेखित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए प्रार्थी की निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन है कि प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश के विरूद्व निगरानी अत्याधिक विलम्ब से पेश की गई है तथा इस विलम्ब को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में प्रत्येक दिवस में विलम्ब का उचित कारण नहीं बतलाया गया है। इसलिये निगरानी पेश करने का विलम्ब क्षमा योग्य नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर मानते हुए खारिज की जावे। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश की किसी भी तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थी की निगरानी अस्पष्ट एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय दिनांक 11.10.2010 के विरूद्व प्रस्तुत निगरानी के साथ पेश किये गये मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं सतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर सभी निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं।

प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) का आदेश न्याय, नियम एवं प्रकरण के तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि रेफरेन्स आन्तरिक लेखा जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जबकि आन्तरिक लेखा जांच दल द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति की मौके की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की गई और ना ही उसका मौका मुआयना किया गया है,इसलिए वह नियम विरूद्ध है। उनका कथन है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स को निस्तारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है, इसलिए वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि सूचना पत्र दिनांक 27.05.2010 को दिनांक 17.06.2010 की तिथि का जारी किया गया, जिसको सूचना पटट पर चिपकाया गया है और 17.06.2010 को कॉटकर 24.06.2010 किया गया है और कॉटछॉट पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, इसके

अतिरिक्त दिनांक 24.06.2010 को कोई आदेशिका अंकित की गई है। उनका यह भी कथन है कि पत्रावली में एक सूचना पत्र दिनांक 12.07.2010 को दिनांक 23.07.2010 के लिए जारी करना दर्शाया है जो निगरानी कर्ता का भाई अंकित कर तामील कराया है,इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि वह निगरानीकर्ता का भाई है और ना ही और परिवार का सदस्य है,जिसकी पुष्टि में कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष राशन कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई है। उनका यह भी कथन है कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने आदेशिका में प्रकरण के तथ्यों का विवेचन किये वगैर उसमें रिक्त स्थानों की हाथ से पूर्ति कर आदेश पारित किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि कलेक्टर (मुदांक) को स्पीकिंग आदेश पारित करना चाहिए था,जो नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में रेफरेन्स आन्तरिक लेखा जांच दल, पंजीयन एवं मुद्रांक,राजस्थान, अजमेर के अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की बाजार भाव से मालियत रू.21,87,310/–होने का आक्षेप गठित किया, जिस पर मुद्रांक कर रू.1,42,180/– व पंजीयन शुल्क रू. 21,880/–देय है, इस प्रकार कमी मुद्रांक कर रू. 86,930/– व कमी पंजीयन शुल्क 13,380/– कुल रू. 1,00,310/–क्रेता से वसूली योग्य है। आन्तरिक जांच दल के द्वारा कमी मालियत के आक्षेप के आधार पर उप पंजीयक द्वारा दिनांक 30.04.2010 को अधिनियम की धारा 51 (4)के अन्तर्गत कलेक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स प्रेषित किया गया,जिसका एक पक्षीय आदेश आदेशिका पर अंकित करते हुए पारित कर रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर कमी मुद्रांक कर रू. 86,930/– व कमी पंजीयन शुल्क 13,380/– व शास्ति 690/–कुल रू. 1,01,000/–प्रार्थी से वसूल करने का आदेश दिनांक 11.10.2011 पारित किया गया।

कलक्टर(मुद्रांक) वृत अजमेर की पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी को नोटिस जारी किया ज्ञात नही होता है और ना ही प्रश्नगत सम्पत्ति का मौका मुआयना किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि पत्रावली पर ना तो कोई नोटिस उपलब्ध है और ना ही मौका मुआयना प्रतिवेदन, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कलक्टर(मुद्रांक) ने आदेश दिनांक 11.10.2010 पारित किया है। कलक्टर(मुद्रांक) के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर उनका दायित्व बनता था कि वह रेफरेन्स से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करने के उपरान्त न्याय संगत एवं तथ्यपरक

आदेश पारित करते परन्तु उन्होंने साइक्लास्टाईल पर छपे पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आदेश दिनांक 11.10.2010 पारित किया है, जिसे सेल्फ स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता है। अतः यह पीठ कलक्टर(मुद्रांक) के आदेश दिनांक 11.10.2010 को तथ्यपरक नहीं मानते हुए अपास्त कर, यह प्रकरण कलक्टर(मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश देती है कि वह आक्षेपधीन प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना कर पक्षकारें को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त, इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर न्याय संगत एवं तथ्यपरक आदेश पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

(सुमील शर्मा)
सदस्य